न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), जगवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश गीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
217 / 2024	13 / 11 / 2024	26 / 08 / 2025

बाबा हजरत शैख बुरहानुददीन चिश्ती रहमतुल्ला अलैह ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जयपुर ग्रामीण जरिये सदस्यगण दरगाह कमेटी ताला शरीफ

1-हाजी शकूर खां शेख आयु 71 वर्ष पुत्र स्व. रमजू खां, जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान ।

2- हाजी फकरूददीन शेख आयु 60 वर्ष पुत्र स्व. नसीर खां, जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान ।

3- अब्दूल इस्लाम खां शेख आयु 56 वर्ष पुत्र स्व. बसीर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान ।

4- हमीद खां शेख आयु 71 वर्ष पुत्र स्व. रमजान खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

5- निजामुददीन शेख आयु 68 वर्ष पुत्र स्व. समद खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान ।

6- निजाम खां शेख आयु 60 वर्ष पुत्र स्व. कल्लू खां यासीन शेख जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

7- हसन शेख आयु 40 वर्ष पुत्र स्व. यासीन शेख जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

8- फकरुददीन शेख आयु 60 वर्ष पुत्र स्व. हाली सुलतान खा जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1- बशीर खां शेख आयु 78 वर्ष पुत्र काले खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

2- नन्छु खां शेख आयु 72 वर्ष पुत्र काले खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

3- अन्नु खां शेख आयु 65 वर्ष पुत्र काले खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमदारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

4- फकरूददीन शंख आयु 38 वर्ष पुत्र छोटू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

5- फारूख खां शेख आयु 35 वर्ष पुत्र छोटू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

सहा. कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जगवारामगढ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

6- अख्तर पुत्र नन्छु खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

7- श्योकत पुत्र नन्छु खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

8- सदाम पुत्र नन्छु खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

9- जबार पुत्र नन्छु खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

10- सिकन्दर पुत्र बसीर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

11- खलील पुत्र बसीर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान। ही थाकूर हमाद फकासदिन हसन निर्ण

12- हमाम खां पुत्र अन्नु खा जाति मुसलमान निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

13- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रमेश कुमार जाजोरियाः— वकिल वादीगण
श्री रमाशंकर शर्माः— वकिल प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :— दिनांक 28/10/2025

वादी की ओर से यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इन कथनों के साथ पेश किया गया है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 58 रकबा 27.6600 हैक्टेयर स्थित ग्राम ताला पटवार हल्का ताला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित है जो कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज स्थित है। उक्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की उक्त भूमि को हडप करने की नियत से वादीगण के साथ लडाई झगडा करते है तथा आये दिन मारपीट करने पर आमादा रहते है तथा वादीगण द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि को दिनांक 21-07-2023 को हनीफ खां पुत्र हाजी नन्हें खां को खेती का कार्य करने के लिए किराया पर दिये थे लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण के किरायेदार को उक्त भूमि में खेती का कार्य नहीं करने दे रहे है और आये दिन लडाई झगडा करते है तथा मारपीट करने पर आमादा रहते है तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि वादीगण की भूमि हाजी शकूर ८५ हमद फकरुदिन इसन निजामुद्दीन के लगवा स्थित है जिसका नाजायज फायदा उठाकर कर आये दिन वादीगण की भूमि में प्रवेश कर हरे पेडों को जबरन काटते है तथा वादीगण की भूमि की सीमाओं में प्रवेश कर अतिक्रमण करना चाहते है तथा वादीगण के किरायेदार के साथ रोज रोज गाली गलोच करते है और मारपीट करने पर आमादा रहते है तथा धमकीया देते रहते है कि उक्त भूमि पर हम कब्जा करके रहेगे और तेरे मालिक एवं तुझको बेदखल करके रहेगे जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नहीं है। दिनांक 05-03-2024 को प्रतिवादीगण एकराय होकर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर आये और आते ही भूमि पर से कब्जा करने के उदेश्य से हरे पेडों को काटने पर आमादा हो गये और वादीगण के किरायेदार को गाली गलोच करना शुरू कर दिया जिस पर वादीगण एवं वादीगण के किरायेदार द्वारा उनको ऐसा करने मना किया तो वे लोग आग बबूला हो गये और वादीगण को एलानियां धमकीया दी कि हम उक्त भूमि में उगे हरे पेडों को जबरन काटेंगे और तुम्हारे किरायेदार को खेती का कार्य नहीं करने देगे और ज्यादा कुछ किया तो तुम्हारे उपर झूठे मुकदमें दर्ज करवा देगे और वादीगण की भूमि की सीमाओं को लेकर रोज रोज लडाई झगडा करते है तथा गाली गलोच निकालते है जबकि वादीगण ने उक्त भूमि को दिनांक 21-07-2023 को खेती का कार्य करने के लिए हनीफ

(सहायक कलक्टर) जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

खां को किराये पर दी है जिसके बावजूद प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण एवं वादीगण के किरायेदार के साथ गाली गलोच करते है और एलानियां धमकीया देते रहते है। तथा वादीगण के कब्जे काश्त से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है जिस कारण वादीगण के लिये उक्त वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 58 में अपनी भूमि की आड में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं करें, किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें, और ना ही किसी प्रकार से तामीरात का निर्माण करें, भूमि में उगे हरे पेडों को जबरन नहीं काटे, वादीगण के किरायेदार को डराये धमकाये नहीं वादीगण के किरायेदार को खेती का कार्य करने में मजाहमत नहीं करें, वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें तथा वादीगण की भूमि की सीमाओं में प्रवेश नहीं करें, तथा तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही एजेन्ट सर्वेन्ट से करवाये।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित किया जावे कि वह वादीगण की उक्त कब्जा काश्त की भूमि खसरा नं. 58 रकबा 27.6600 हैक्टेयर पर हाजी शका हमाद फकरुदित अपनी भूमि की आड में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं करें, किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें, और ना ही किसी प्रकार से तामीरात का निर्माण करें, भूमि में उगे हरे पेडों को जबरन नहीं काटे, वादीगण के किरायेदार को डराये धमकाये नहीं वादीगण के किरायेदार को खेती का कार्य करने में मजाहमत नहीं करें, वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें तथा वादीगण की भूमि की सीमाओं में प्रवेश नहीं करें, तथा तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही एजेन्ट सर्वेन्ट से करवाये।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 लगायत 13 को तलबी नोटिस भिजवाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने से उक्त के विरूध्द एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से एडवोकेट श्री रमाशंकर शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया। वकिल प्रतिवादी को जवाब दावा मय काउन्टर दावा पेश किया। वकिल प्रतिवादी ने अपने अपने जवाब दावा व काउन्टर दावा में अंकित किया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 58 रकबा 27.6600 हैक्टेयर ग्राम ताला में स्थित है स्वीकार हैं शेष कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि हाल सेटलमेन्ट में उक्त वादपत्र में अंकित नवीन खसरा नम्बर 58 साबिक खसरा नम्बर 47 से बना है तथा खसरा नम्बर 47 साबिक खसरा नम्बर 162 मी, 163, 161 से मिलकर बना है। साबिक खसरा नम्बर 162 मी, 163, 161 कि खातेदारी माफी पीर का नाम का अंकन नहीं है। तथा ओल्ड रिकॉर्ड में मिन उत्तरदाता के हकपूर्वाधिकारी काले खां पुत्र रजजान का नाम माफी पीर के साथ अंकित है। माफी पीर कि भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने का उक्त वाढ़ीगण को किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नहीं है। बाबा हजरत शेख पीर बाबा के मिन उत्तरदाता खिदमदगार है तथा पूर्व के रिकॉर्ड में मिन उत्तरदाता के हकपूर्वाधिकारी काले खां का नाम राजख रिकॉर्ड में अंकित है। तथा पीर कि अन्य भूमियों में भी काले खां का नाम दर्ज है उक्त तथा कथित दरगाह कमेटी का किसी प्रकार का कोई लेना देना सम्बन्ध सरोकार उक्त वादग्रस्त भूमि से नहीं है तथा ना ही पीर कि भूमि को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को ठेके पर देने का कोई विधिक अधिकार है। मिन उत्तरदाता ने किसी प्रकार का कोई लडाई झगडा नहीं किया । माफी पीर के खिदमदगार कि हैसीयत से माफी पीर कि भूमि कि सुरक्षा करने का एवं खुर्द - बुर्द होने से रोकने का अधिकार मिन उत्तरदाता को उसके हकपूर्वाधिकरी काले खां के समय से प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि माफी पीर कि भूमि है जिस पर पूर्व में मिन उत्तरदाता के हकपूर्वाधिकारी काले खां का नाम माफी पीर के साथ अंकित था। सेटलमेन्ट के समय केवल माफी पीर कि भूमि अंकित कि गई है। लेकिन बाद में उक्त तथा कथित दरगाह कमेटी के सदस्य वादी सं. 1 लगायत 8 ने राजस्व कर्मचारीयों से साज कर माफी पीर कि भूमि को हडपने एवं खुर्द-बुर्द करने कि गरज से तथा कथित दरगाह कमेटी का नाम का अंकन करवा लिया जिससे वादी सं. 1 लगायत 8 को किसी प्रकार के कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं तथा उक्त गलत अंकन कि आड में वादी सं. 1 लगायात 8 को माफी पीर कि भूमि को किराये पर देने एवं चौथ वसुली कर खुर्द बुर्द करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। दिनांक 05/03/2024 को किसी मिन उत्तरदाता ने किसी प्रकार कि कोई धमकियां तथा कथित दरगाह कगेटी के सदस्यों को नहीं दी। बिना किसी वाढ़ कारण के उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जो काबिले खारीज हैं। वादपत्र के अनुतोष में वर्णित समस्त कथन असत्य एवं आधारहीन होने की वजह से इनकार है। वादीगण उक्त मद में अंकित किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने योग्य हैं। मिन उत्तरदाता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने रिकॉर्डेड हिस्से पर काबिज काश्त है किन्तु अब वादी तथा कथित दरगाह कमेटी के सदस्य 1 लगायत 8 के मन में बेईमानी आ गई है तथा वह मिथ्या कथन अंकित कर मिन उत्तरदाता की अधक धन व श्रम खर्च कर उन्नत की गई भूमि को हडप करने के कुत्सित उद्देश्य की पूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया है जो कि मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने योग्य हैं। वादग्रस्त भूमि 58 ग्राम ताला का

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार माफी पीर है जिसके खादीम ऑल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मिन उत्तरदाता के हकपूर्वाधिकारी काले खां पुत्र रमजान खां थे। वादग्रस्त भूमि से तथा कथित दरगाह कमेटी का किसी प्रकार का कोई हक सम्बन्ध नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि उक्त तथा कथित वादी दरगाह कमेटी के सदस्य संख्या 1 लगायत 8 उक्त प्रतिदावा के मढ़ सं. 1 में वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है जिसका उक्त तथा कथित दरगाह कमेटी को किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिदावा स्वीकार फरमाकर वादी तथा कथित दरगाह कमेटी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 58 ग्राम ताला के उपयोग उपभोग व रख रखाव मे तथा कथित दरगाह कमेटी किसी प्रकार कि कोई दखलन्दाजी नहीं करे मौके पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके कि यथास्थित बनाये रखें। उक्त भूमि को किसी भी अन्य दीगर व्यक्ति को ठेके या किराये पर ना देवे तथा किसी प्रकार से खुर्द बुर्द ना करे। तथा राजस्व रिकॉर्ड में माफी पीर के साथ अंकित दरगाह कमेटी के नाम के अंकन को हटा कर पूर्वानुसार दुरूस्त कर माफी पीर के नाम का अंकन किया जावे।

अतः जवाब दावा अतिरिक्त कथन मय काउन्टर दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारीज फरमाया जाकर प्रतिक्षावाकर्ता / मिन उत्तरदाता का काउन्टर दावा स्वीकार फरमा कर तथा कथित दरगाह कमेटी को पाबन्द फरमाया जावे।

वकिल वादी द्वारा काउन्टर दावा का जवाब पेश किया तथा अंकित किया कि वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 58 स्थित ग्राम ताला का तहसील जमवारामगढ़ का उत्तर दाता का पूर्वाधिकारी काले खां ओल्ड रिकार्ड खातेदार हो। उक्त भूमि वादी काबिज कास्त खातेदार है। सही तथ्य यह है कि भूमि खसरा नम्बर 58 पर शुरु से ही वादीगण काबिज कास्त खातेदार चले आ रहे हैं। उत्रदाता वादी की भूमि को पूर्व में बइंतजाम काले खां दर्ज हो जाने के कारण बाबा पीर की भूमि को हड़पना चाहता है। भूमि खसरा नम्बर 58 स्थित ग्राम ताला का तहसील जमवारामगढ़ पर वादीगण काबिज कास्त खातेदार है। यह कहना गलत है कि दरगाह कमेटी के सदस्य प्रतिदावा के मद संख्या एक में वर्णित भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहते हों। सही तथ्य यह है कि गलती से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर उत्तरदातागण पीरजी माफी की भूमि को अपनी बताकर खुर्द-बुर्द कर रहे हैं जिनका उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादकर्ता का प्रतिदावा विधिअनुसार चलने योग्य नहीं है व विधिविरुद्ध होने के कारण सरसरीतोर पर ही काबिले खारिज होने के कारण चलने योग्य नहीं है। प्रतिवाद पत्र की अंतिम मद अनुतोष की उप मद संख्या "क" कतई गलत होने से अस्वीकार है। विवादित भूमि की खातेदारी सम्वत 2008 में माफी पीरजी दर्ज है व आज भी पीरखुरानुद्दीन चिश्ती रहमतुला बहैतमाम दरगाह कमेटी ताला के नाम दर्ज है। मोके पर वादीगण का कब्जा है। ग्राम ताला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 58 पर कभी भी कोई प्रतिवादीगण उत्तरदातागण व उनके किसी वंसज द्वारा कास्त नहीं की गई है। न कभी उत्तरदातागण का मोके पर कोई कब्जा किसी किस्म का है। इस कारण दरगाह कमेटी को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाब्ध कराने का प्रतिवादीगण को कोई किसी किस्म का अधिकार नहीं है। इंतजामिया कमेटी को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्ध करने से वादी की भूमि की देख-रेख इंतजाम आदी का कार्य नहीं हो सकेगा व वादी अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा व वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है।

अतः वादी की ओर से जबाब उल जबाब वाद पत्र काउन्टर वाद का जबाब पेश कर प्रार्थना है कि काउन्टर वाद पत्र हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमा कर वाद डिकी करने की कृपा करें।

वकिल उभय पक्ष की प्रकरण में बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकिल उभय पक्ष की बहस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 27.6600 वाकै ग्राम ताला पटवार हल्का ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कच्चा – पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, अवैध अतिक्रमण, कब्जा इत्यादि नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति कायम रखे।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner